न्यायालय जिला कलेक्टर,टोंक

(सुबे सिंह यादव,आई0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 14/2018

श्री सद्दाम हुसेन मंसूरी निवासी वार्ड नं0 4 बीसलपुर कॉलोनी के पीछे टोडारायसिंह जिला टोंक

––अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार मालपुरा जिला टोंक

––प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय **दिनांक 16.04.2018**

अपील अपीलाण्ट संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार मालपुरा को आवेदन पत्र दिनांक 15.01.2018 प्रेषित/प्रस्तुत कर अपीलाण्ट द्वारा निम्न वर्णित सूचना चाही गईः–

1–ग्राम पंचायत तिलाजू तहसील मालपुरा मे स्थित खसरा संख्या 4/12 एंव खाता संख्या 198 वर्तमान की 2036 से 2039 विक्रम सम्वंत की जमाबंदी खतोनी की सत्य प्रमाणित प्रतिलिपि देने की कृपा करे।

2–खसरा नम्बर 4/12 एंव खाता संख्या 198 वर्तमान के समस्त दस्तावेज एंव रिकार्ड की प्रतिलिपियां देने की कृपा करे।

3–4/12 खसरा संख्या का नक्शा ट्रेस जैसी भी अवस्था मे कृपया लोकहित मे देने की कृपा करे।

अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई। अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई तथा अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलार्थी उपस्थित नही हुऐ। लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार मालपुरा से अपील के संबंध मे जवाब हेतु पंत्राक 428 दिनाक 06.03.2018,479 दिनाक 15.03.2018,542 दिनांक 28.03.2018,व 575 दिनाक 09.04.2018 द्वारा निर्देशित किये जाने के उपरान्त भी जवाब प्राप्त नही हुआ है। जबकि अपीलार्थी उनके द्वारा आवेदित सूचना प्राप्त करने का अधिकारी है।

फलतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार मालपुरा को निर्देशित किया जाता है कि वह अपीलार्थी को उनके द्वारा आवेदित तथा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत दी जाने योग्य सूचना निर्णय की प्रति प्राप्ति से 15 दिवस में उपलब्ध करावें। अपीलार्थी व लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार मालपुरा को निर्णय की प्रति प्रेषित कि जावे।

(सुबे सिंह यादव)
जिला कलेक्टर एंव
प्रथम अपील अधिकारी टोंक